न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति0 कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार RAS
एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 19/2018

सुशील कुमार चोटवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. कृष्ण कुमार गोयल पुत्र श्री दामोदर प्रसाद गोयल (विक्रेता), मैसर्स :– गोयल ट्रेडिंग कम्पनी, मोरीजा रोड, चौमू, जयपुर। निवासी–बी–2, मोदी विला, बसन्त विहार, चौमू, जिला–जयपुर।
2. विष्णु कुमार गोयल पुत्र श्री दामोदर प्रसाद गोयल (प्रोपराईटर), मैसर्स :– गोयल ट्रेडिंग कम्पनी, मोरीजा रोड, चौमू, जयपुर। निवासी–148, दुस्साद भवन, पुरोहितो का मोहल्ला, चौमू, जिला–जयपुर।
3. अशोक कुमार महावीर प्रसाद अग्रवाल (प्रोपराईटर), मैसर्स :– कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, 42, लक्ष्मीनगर, सेक्टर–8, उदयपुर। निवासी–बी–24, सेटेलाईट प्लाजा, वस्त्रपुर, अहमदाबाद, गुजरात।
4. श्री महेन्द्र सिंह भरत सिंह चूडावत पुत्र श्री भरतसिंह अनुप सिंह चूडावत (नॉमिनी) मैसर्स ओएसिस ट्रेडलिंक लिमिटेड, सर्वे नं0 160, करण नगर, कादीकलोल हाइवे, ताल्लुका–कादी, जिला–महसाना, गुजरात। कार्यालय पता– प्रथम तल, मारूति हाउस, सेल्स इण्डिया शोरूम के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात।
5. मैसर्स ओएसिस ट्रेडलिंक लिमिटेड, सर्वे नं0–160, करणनगर, कादीकलोल हाईवे, ताल्लुका–कादी, जिला–महसाना (गुजरात)। कार्यालय पता–प्रथम तल, मारूती हाउस, सेल्स इण्डिया शोरूम के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात।

अभियुक्तगण,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii)/ एवं 51 तथा 52 एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011)

उपस्थितिः–
1. पेरोकार सरकार उपस्थित ।
2. श्री मयंक गुप्ता, अभिभाषक, अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 29.10.2021

आवेदक सुशील कुमार चोटवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 10.01.2017 को मैसर्स गोयल ट्रेडिंग कम्पनी, मोरीजा रोड, चौमू, जयपुर के खाद्य कारोबारकर्ता अभियुक्त कृष्ण कुमार गोयल पुत्र श्री दामोदर प्रसाद गोयल की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर गत्ते के 50 कार्टूनों प्रत्येक में 1 लीटर वजनी 12 सील्ड पैट बोतल सरसों तेल (मारूति) विक्रय हेतु रखी हुई थी। इसमें गुणवत्ता एवं लैबल में कमी होने पर इसमें से 4 सील्ड पैट बोतल सरसों तेल (मारूति) वास्ते नमूना जांच संख्या ई–2826 के लिये क्रय किया गया। क्रय की गई 4 सील्ड पैट बोतल सरसों तेल (मारूति) की कीमत अंके रूपये 350/– (अक्षरे रूपये तीन सौ पच्चास मात्र) मौके पर उपस्थित खाद्य कारोबारकर्ता श्री कृष्ण कुमार गोयल को देकर केश मीमो/रसीद प्राप्त की जिस

पर बतौर सबूत खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये 4 सील्ड पैट बोतल सरसों तेल (मारूति) की जांच कराये जाने पर 4 सील्ड पैट बोतल सरसों तेल (मारूति) सब–स्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा सब–स्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड सील्ड पैट बोतल सरसों तेल (मारूति) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है। अतः नियमानुसार निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अभियुक्तगण अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल मिसल कराया गया।

उभयपक्षों को सुना गया। पेरोकार सरकार ने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक,(जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार उन्हे कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम क्षेत्र आवंटित किया गया है। जिसके अन्तर्गत आने वाला समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में आता है। तहसील चौमू भी उनके कार्यक्षेत्र में होने के कारण उनके द्वारा उक्त विक्रेता के यहां नमूना लिया गया है। आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की प्रदत्त शक्तियों एवं आवंटित क्षेत्र के तहत खाद्य पदार्थ विक्रय स्थल का निरीक्षण किये जाने की शक्तियां निहित होने के फलस्वरूप कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने के अनुसरण में दिनांक 10.01.2017 को अभियुक्त द्वारा विक्रय हेतु रखे गये 4 सील्ड पैट बोतल सरसों तेल (मारूति) का निरीक्षण किया गया। मौके पर मिले खाद्य कारोबारकर्ता कृष्ण कुमार गोयल के पास उपलब्ध 4 सील्ड पैट बोतल सरसों तेल (मारूति) का भौतिक रूप से निरीक्षण करने पर विक्रेता के पास गत्ते के 50 कार्टूनों प्रत्येक में 1 लीटर वजनी 12 सील्ड पैट बोतल सरसों तेल (मारूति) आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई होना पाया गया। इसमें गुणवत्ता एवं लैबल की कमी का शक होने पर नमूना जांच हेतु 4 सील्ड पैट बोतल सरसों तेल (मारूति) की कीमत अंके रूपये 350/– (अक्षरे रूपये तीन सौ पच्चास मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता श्री कृष्ण कुमार गोयल को देकर क्रय किया गया और क्रय किये गये 4 सील्ड पैट बोतल सरसों तेल (मारूति) की कीमत अंके रूपये 350/– (अक्षरे रूपये तीन सौ पच्चास मात्र) का केश मीमो–रसीद खाद्य कारोबारकर्ता कृष्ण कुमार गोयल से गवाहान के सामने प्राप्त कर मौके पर नमूना जांच नम्बर ई–2826 दर्ज किया गया और मौके पर प्ररूप 5ए तैयार कर एक प्रति अभियुक्त को दी गई जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर स्वयं अभियुक्त कृष्ण कुमार गोयल के अंकित है। इस प्राप्ति रसीद पर खाद्य कारोबारकर्ता कृष्ण कुमार गोयल के साथ ही 2 गवाहान के हस्ताक्षर है। पूरी कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट मौके पर उपस्थित गवाहान के समक्ष तैयार की गई है, जिसे मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर के लिये कहा गया है मौके पर ही अभियुक्त एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये है। आवेदक ने नियमानुसार मौके पर लिये गये नमूनों का फार्म नम्बर 6 तैयार कर संबंधितों को जमा करवाया है। खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जयपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक एल.एस./29/एक्ट/2017/94 दिनांक 24.01.2017 प्ररूप बी में नमूना कोड नम्बर और सीरियल नम्बर ई–2826 को सब–स्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना पाया है। अतः यह स्पष्ट सिद्ध है कि अभियुक्त कृष्ण कुमार गोयल, (विक्रेता) मैसर्स गोयल ट्रेडिंग कम्पनी, मोरीजा रोड, चौमू, जयपुर द्वारा सब–स्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड सरसों तेल (मारूति) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन

किया है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए खाद्य आयुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कथन किया कि खाद्य आयुक्त नियमानुसार प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नही किये गये है। खाद्य आयुक्त द्वारा प्रशिक्षित तकनिकी कर्मियों के स्थान पर प्रयोगशाला तकनीशियन, नर्स ग्रेड II, नेत्र सहायक, एमपीडब्लयू, एलडीसी आदि को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाया गया है, जो नमूना लेने के लिए निर्धारित योग्यता एवं प्ररक्षिण धारक नही है। खाद्य विश्लेषक द्वारा जो फार्म बी अपनी रिपार्ट प्रस्तुत की गई है उसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये नमूनें में सरसों तेल (मारूति) का Saponification Value 168.0 से 177.0 के स्थान पर 181.25 एवं Bellier Test (Turbidity temperature-Acetic aacid method) 23.0 C to 27.5 C के स्थान पर 31.0 C होना पाया गया है, जो कि कोई बडा अन्तर नही है, मामूली सा अन्तर है। वर्तमान की जलवायु और मौसम के अनुसार मानकता में थोडा बहुत अन्तर होना स्वाभिवक है। एकदम मानक प्रतिशित प्राप्त होना आमतौर पर संभव नही है। विक्रेता कृष्ण कुमार गोयल द्वारा कोई मिलावट नही की गई है ना ही उनके द्वारा विक्रय हेतु रखे गये सरसों तेल (मारूति) की गुणावत्ता एवं लैबल में कोई कमी थी। वर्तमान जलवायु एवं मौसम के आधार पर मामूली सा मानक आधार में कमी रही है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II)/51 एफएसएस एवं नियम 2011 का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त को शास्ति से दण्डित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के समर्थन में निम्नाकिंत दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई है:–

1. आवेदक स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 की प्रति ।
2. चौमू क्षेत्र आवेदक को आंवटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 की प्रति।
3. आवेदक द्वारा दिनांक 10.01.2017 को नमूने के लिऐ क्रय किये 4 सील्ड पैट वोतल सरसों तेल (मारूति) के समर्थन में खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा दिनांक 10.01.2017 को दिये गऐ केश–मीमो की प्रति।
4. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति हस्ताक्षर खाद्य कारोबारकर्ता कृष्ण कुमार गोयल के है।
6. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता कृष्ण कुमार गोयल के हस्ताक्षर है।
7. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना सब–स्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड होना अंकित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि नमूना लिये गये व्यक्ति द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्धारित योग्यता एवं प्ररिक्षिण प्राप्त व्यक्ति नही था। हमारे विचार से नमूना लेने के पश्चात् नमूना जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रयोगशाला में नमूने की जांच हेतु भिजवाया जाता है। प्रयोगशाला में तकनिकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा नमूनों की जांच की जाती है। जिसके आधार पर खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नही है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्रारूप बी अभियुक्तगण

को अभिहित अधिकारी द्वारा भेजी गई है। अभियुक्तगण ने नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार इस खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित अवधि में चुनौती भी नही दी गई है। ऐसी स्थिति में विलम्ब के संबंध में इस स्तर पर विचार किये जाने का कोई औचित्य नही है। खाद्य विश्लेषक की रिर्पोट प्ररूप–बी दिनांक 24.01.2017 पर संदेह किये जाने का कोई आधार नही है।

अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि अभियुक्तगण (विक्रेता एवं उत्पादक) द्वारा द्वारा सब–स्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड सरसों तेल (मारूति) विक्रय/उत्पादन करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये हम प्रत्येक अभियुक्त सं0 1, 2 व 3 के कृत्य के लिये पृथक–पृथक रूप से प्रत्येक अभियुक्त के लिए राशि रूपये 10,000 (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है तथा अभियुक्त सं0 4 व 5 के कृत्य के लिये पृथक–पृथक रूप से प्रत्येक अभियुक्त के लिए राशि रूपये 50,000 (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें।

निर्णय सुने हजलास आज दिनांक 29.10.2021 को सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज.)
सत्यमेव जयते

29-10-21

(डॉ. अशोक कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी,
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
(चतुर्थ), जयपुर